

कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

॥ ज्ञापन ॥

28 JAN 2026

क्रमांक / 879 / 2026

उज्जैन, दिनांक -

प्रति,

प्रवर्तन लिपिक,

समस्त न्यायालय,

जिला न्यायालय उज्जैन म.प्र.

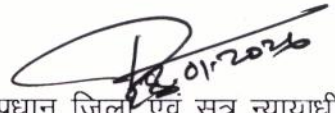
तहसील न्यायालय बड़नगर, महिदपुर, नागदा, खाचरौद एवं तराना।

- विषय — अंडर ट्रायल प्रिजनर की प्रिजनर आई.डी. का इन्द्राज सी.आय.एस. सॉफ्टवेयर में किये जाकर प्रिजनर आई.डी. टेग किये जाने बाबत।
- संदर्भ — माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ, इन्दौर की मीटिंग दिनांक 17.12.2025 में दिये गये निर्देशानुसार।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत यथाआदेशानुसार लेख है कि संदर्भित मीटिंग दिनांक 17.12.2025 द्वारा समस्त जिला न्यायालयों में अंडर ट्रायल प्रिजनर की प्रिजनर आई.डी. को सी.आय.एस. सॉफ्टवेयर में टेग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः भविष्य में आपके न्यायालय से संबंधित प्रकरणों में नवीन अंडर ट्रायल प्रिजनर का इन्द्राज सीआयएस सॉफ्टवेयर में किये जाने के साथ ही प्रिजनर आई.डी. को सी.आय.एस. सॉफ्टवेयर में टेग किया जाना सुनिश्चित करें।


वास्ते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला उज्जैन.